प्रस्ताव

(1) इस्लामी मदरसों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा के उपायों पर विचार (मसौदा प्रस्ताव)

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

इस्लामी मदरसे निर्धन और पिछड़े भारतीय मुसलमानों के लिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। धार्मिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस्लामी मदरसों से उत्तीर्ण छात्र देशभर में धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व प्रदान करने के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने, इमामत, धर्म प्रचार, मामलों की जानकारी प्रदान करने जैसे कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। गरीब और पिछड़ों के बीच आरंभिक सांसारिक शिक्षा प्रदान करने और निरक्षरता को दूर करने में भी उनकी प्रमुख भागीदारी है। मदरसों से जुड़े उलेमा और छात्रों ने देश की स्वतंत्रता और निर्माण एवं विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश की संप्रभुता, सुरक्षा और युवाओं में देश की रक्षा और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने में उनकी एक अनुकरणीय भूमिका है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा द्वारा मुसलमानों का उचित मार्गदर्शन करने, नैतिक प्रशिक्षण से अलंकृत करने और अपराध मुक्त रखने में इस्लामी मदरसों की तुलना में कोई और संगठन अथवा संस्था नहीं है।

अजीब विडम्बना है कि देश और राष्ट्र की ऐसी मूलभूत सेवाओं की उपेक्षा करते हुए एक बड़ा वर्ग मदरसों पर कटाक्ष और व्यर्थ की आलोचना करने में लगा हुआ है। इनमें मुसलमानों से अप्रसन्न और साम्प्रदायिक तत्व अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं दुर्भाग्यवश स्वयं मुसलमानों का एक वर्ग मदरसों के संबंध में गलतफहमियों से ग्रसित है, वह आधुनिक शिक्षा, रोजगार और नौकरियों के संदर्भ में मदरसों से उत्तीर्ण लोगों को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता है। इसी के साथ आप सम्मानित जनों से यह भी ढका-छुपा नहीं है कि गत कुछ वर्षों से विभिन्न सरकारी एजेंसियां आतंकवाद को लेकर मदरसों के बारे में संदेह और भ्रम फैला रही हैं। इस संदर्भ में निर्दोष मदरसा छात्रों की गिरफ्तारियां और उनका उत्पीड़न विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुछ सरकारों ने हाल ही में मदरसों में बच्चों के मौलिक अधिकारों के संबंध में भी जांच-पड़ताल और पकड़-धकड़ शुरू कर दी है।

उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए तत्काल उपाय अपरिहार्य होते जा हैं। इस संबंध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह महाधिवेशन निम्नलिखित उपायों को प्रस्तावित करता हैः

(1) **मदरसों की वास्तविक भूमिका और उपयोगिता के बारे में देश और जनता को सूचित करने और उनकी बिगाड़ी गई छवि को ठीक करने के लिए मीडिया और सभी सूचना संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाए।**

(2) **सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों को भरोसे में लेकर पूरी पारदर्शिता के साथ आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों और कट्टरपंथी तत्वों के प्रभाव से अपने छात्रों और अपने संस्थानों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव उपाय किए जाएं।**

(3) **मदरसों के प्रबंधन और रखरखाव एवं उनका लेखा-जोखा रखने में देश के सभी कानूनों का पालन अति आवश्यक है। विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों की छूट, संरक्षण और नैतिक प्रशिक्षण आदि के संबंध में सभी क़ानूनों का पूरी सतर्कता का पालन करने को सुनिश्चित किया जाए। छात्रावासों से संबंधित देश के क़ानूनों के अनुसार छात्रों के रहन-सहन की उचित व्यवस्था करना मदरसों के जिम्मेदारों का मुख्य कर्तव्य है।**

(4) **छात्रों को वर्तमान आवश्यकता के अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रदान करना भी अत्यंत आवश्यक है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने मदरसों की व्यवस्था में छेड़छाड़ किए बिना एनआईओएस के माध्यम से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का जो प्रबंध किया है, इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। सभी मदरसों को आगे बढ़कर इसे अपनाने या किसी अन्य विकल्प का पालन करने के लिए तत्काल गंभीर प्रयास करने चाहिएं।**

(5) **मदरसों की व्यवस्था में हमें सरकारी हस्तक्षेप बिलकुल स्वीकार नहीं है, उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता संविधान में प्रदत्त हमारा मौलिक अधिकार है और हम इस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इसी के साथ छात्रों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संबंध में किए जाने वाले हर उपाय के लिए हम तैयार हैं।**

(2) देश में बढ़ते नफरती अभियान और इस्लामोफोबिया की रोकथाम पर विचार-मंथन (मसौदा प्रस्ताव)

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

आज हमारे देश में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के विरुद्ध नफरत और उकसावे की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे दुखद बात यह है कि यह सब सरकार की आंखों के सामने हो रहा है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों, भारत की सिविल सोसायटियों की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बावजूद सत्तासीन लोग न केवल इन घटनाओं की रोकथाम के प्रति अनिच्छुक हैं बल्कि कई भाजपा नेताओं, विधायकों और सांसदों के नफरत भरे बयानों से देश का माहौल लगातार जहरीला होता जा रहा है।

जिसके कारण देश की आर्थिक और व्यापारिक हानि के अतिरिक्त देश की ख्याति भी प्रभावित हो रही है। इन परिस्थितियों में जमीयत उलेमा-ए-हिंद देश की संप्रभुता और ख्याति को लेकर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है किः

(1) **वह तुरंत ऐसे उपायों पर रोक लगाए, जो लोकतंत्र, न्याय और समानता की आवश्यकताओं के विरुद्ध हैं और इस्लाम से शत्रुता पर आधारित हैं।**

(2) **नफरत फैलाने वाले तत्वों और मीडिया पर बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई की जाए। विशेषकर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट और उचित टिप्पणियों के बाद, इस संबंध में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उपद्रवियों को दंडित किया जाए।**

(3) **विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार हिंसा के लिए उकसाने वालों को विशेष रूप से दंडित करने के लिए एक अलग क़ानून बनाया जाए और सभी अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सामाजिक-आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के प्रयासों पर रोक लगाई जाए।**

(4) **देश में समरसता को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी (**National Foundation for Communal Harmony**) और नेशनल इंटेगरल काउंसिल (**National Integral Council**) को सक्रिय किया जाए और इसके तहत सह-अस्तित्व से संबंधित कार्यक्रम और प्रदर्शन आयोजित किए जाएं। विशेषकर सभी धर्मों के प्रभावशाली लोगों की संयुक्त बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए जाएं।**

जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह महाधिवेशन सभी न्यायप्रिय दलों और राष्ट्र हितैषी व्यक्तियों से अपील करता है कि वह प्रतिक्रियावादी और भावनात्मक राजनीति के बजाय एकजुट होकर चरमपंथी और फासीवादी शक्तियों से राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मुकाबला करें और देश में भाईचारा, आपसी सहिष्णुता और न्याय की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करें।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद मुस्लिम युवाओं और छात्र संगठनों को विशेष रूप से सतर्क करती है कि वह आंतरिक और बाहरी देशद्रोही तत्वों के सीधे निशाने पर हैं। उन्हें हताश करने, उकसाने

और भटकाने के हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसलिए परिस्थितियों से बिलकुल भी निराश न हों और धैर्य न खोएं। जो तथाकथित शक्तियां इस्लाम के नाम पर जिहाद की व्याख्या आतंकवाद और हिंसा फैलाने के लिए करती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एजेंसियों की नजर में संदेहास्पद और संदिग्ध हैं, उनसे असहमति और दूरी बनाए रखना हमारे युवाओं और छात्रों की सुरक्षा और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जाने-अनजाने में थोड़ी सी लापरवाही उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है।

यह अधिवेशन मीडिया द्वारा चलाए गए इस्लामोफोबिक अभियान की निंदा करता है, जो पवित्र इस्लामी अनुष्ठानों की छवि को खराब कर रहा है और इस्लामी शब्दों की गलत व्याख्या कर रहा है।

(3) समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के प्रयासों के संबंध में प्रस्ताव (मसौदा)

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

समान नागरिक संहिता केवल मुसलमानों की समस्या नहीं है, बल्कि यह इसका संबंध देश के विभिन्न सामाजिक समूहों, सम्प्रदायों, जातियों और सभी वर्गों से है। हमारा देश अनेकता में एकता का सर्वोच्च उदाहरण है, हमारे बहुलतावाद की अनदेखी करते हुए जो भी कानून बनाया जाएगा, उसका सीधा प्रभाव देश की एकता और अखंडता पर पड़ेगा। यह अपने आप में समान नागरिक संहिता के विरोध का मुख्य कारण है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रति मुसलमानों की अधिक संवेदनशीलता का कारण इस्लामी शरीयत का जीवन के सभी क्षेत्रों और सामाजिक एवं नैतिक पहलुओं में अंतर्निहित होना है। पवित्र कुरान के आदेश इस ब्रह्मांड के रचनाकार द्वारा निर्मित हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं जा सकता है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम पारिवारिक क़ानूनों को समाप्त करने का प्रयास लोकतंत्र की भावना और भारत के संविधान में दी गई गारंटी के विरुद्ध है। जब इस देश का क़ानून लिखा जा रहा था तब संविधान सभा ने यह गारंटी दी थी कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों विशेषकर उनके पर्सनल लॉ से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 25 **से** 29 **तक का यही उद्देश्य और भावना है।**

इसके बावजूद वर्तमान सरकार समान नागरिक कानून के माध्यम से मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करना चाहती है, जो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, न कि मौलिक संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा से। वर्तमान में सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ के संबंध में देश के न्यायालयों को भटकाने और उनके आदेशों को प्रभावित करने का भी काम कर रही है। हालिया दिनों में, अदालतों ने तीन तलाक, ख़ुला, हिजाब इत्यादि से संबंधित मामलों में शरीयत के आदेश और कुरान की आयतों की मनमानी व्याख्या कर मुस्लिम पर्सनल लॉ के विनाश का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायालयों का यह रवैया उनपर अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के भरोसे को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह महाधिवेशन भारत सरकार को चेतावनी देता है कि समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन देश की एकता और अखंडता पर सीधा प्रभाव डालेगा। यह तो वोट बैंक की राजनीति के लिए अस्थिरता और अराजकता को निमंत्रण देना है। सरकार को किसी एक वर्ग को खुश करने के बजाय देश के सभी वर्गों के विचारों का सम्मान करते हुए संवैधानिक अधिकारों में छेड़छाड़ से बचना चाहिए।

इस अवसर पर समान नागरिक संहिता के बारे में उपरोक्त आपत्तियों के साथ, हम यह उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि शरीयत के आदेशों के उल्लंघन के कारण ही किसी भी सरकार के लिए शरीयत में हस्तक्षेप करने का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर मुसलमान अपने शरीयत के सभी नियमों का व्यवहारिक जीवन में पालन करने के लिए सतर्क रहें, तो किसी क़ानून में उनको इससे रोकने की शक्ति नहीं है। इसलिए सभी मुसलमान इस्लामी शरीयत पर दृढ़ संकल्पित रहें। इसके साथ ही समाज में महिलाओं के साथ इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करें। विरासत के बंटवारे में महिलाओं के साथ अन्याय इस्लामी शरीयत का खुलेआम उल्लंघन, मुस्लिम समाज में एक सामान्य बीमारी है। महिलाओं को तलाक देने और गुजारा भत्ता के मामले में भी इस्लामी शिक्षाओं का पालन नहीं होता है, जिसके कारण महिलाओं को शरीया अदालतों और इस्लामी पंचायतों के बजाय देश की अदालतों का रुख करने को विवश होना पड़ता हैं, जहां निर्णय इस्लामी शरीयत के विरुद्ध होते हैं। इस प्रक्रिया में मुसलमानों का बहुत धन और समय देश की अदालतों में बर्बाद होता है। इसलिए, हम सभी मुसलमानों से जोरदार ढंग से अपील करते हैं कि वह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए इस्लामी शरीयत द्वारा निर्धारित नियमों को व्यावहारिक रूप से लागू करें।

(4) मुसलमानों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार-मंथन (मसौदा प्रस्ताव)

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणों और आयोगों सच्चर समिति, रंगनाथ मिश्रा आयोग इत्यादि की रिपोर्टों से यह साबित हो चुका है कि मुसलमान शैक्षिक और आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े, कमजोर और दलितों से भी एक पायदान नीचे हैं। हमारी 20 **प्रतिशत जनसंख्या की इतनी बदहाली के बावजूद देश आर्थिक और वित्तीय तौर पर कैसे विकास कर सकता है और हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं। हमारी सरकार और आर्थिक नीति निर्माताओं को इस पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। यह मुसलमानों की समस्या नहीं बल्कि देश की समस्या है। अल्लाह के वास्ते भेदभाव का यह चश्मा उतार कर राष्ट्रहित के दृष्टिकोण से इस मामले पर विचार करें।**

यद्यपि मुसलमान शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अवश्य हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में, आर्थिक उत्पादन में और आय में, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में, उनकी भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुसार दूसरे समुदायों की तुलना में किसी भी तरह कम नहीं है। हालांकि पूर्वाग्रह के कारण उन्हें आय के स्रोत के दृष्टिकोण से आमतौर पर बेकार साबित करने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अकेले मध्य पूर्व से लगभग छह बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा हर महीने प्राप्त करता है। इसमें 70 **प्रतिशत से अधिक गरीब मजदूरों के खून-पसीने की कमाई है और उनमें अधिकतर मुसलमानों की संख्या होने को नकारा नहीं जा सकता। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर हस्तशिल्प और विनिर्माण और श्रम व्यवसायों में मुसलमानों की बड़ी संख्या औद्योगिक उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके बावजूद आर्थिक नीतियों में उनकी वर्ष दर वर्ष उपेक्षा की जाती रही है। इसके अलावा जिन सरकारी योजनाओं में मुसलमानों के हितों के लिए कुछ होता है, कुछ तो अज्ञानता के कारण और कुछ अधिकारियों के पक्षपात के कारण मुसलमान उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।**

हम सरकार और आर्थिक नीति के निर्माताओं से अनुरोध करते हैं कि भविष्य में आर्थिक नीति या बजट प्रस्तुत करते समय राष्ट्रीय हित के विचार को प्राथमिकता देते हुए अल्पसंख्यकों, दलितों और मुसलमानों के लिए उचित हिस्सा निर्धारित करें, ताकि देश का संतुलित विकास हो सके।

इसके साथ ही कुछ विशेष उद्योग और क्षेत्र जिनमें पारंपरिक रूप से मुसलमान सक्रिय रहे हैं जैसे कानपुर में चमड़ा उद्योग, अलीगढ़ में ताला उद्योग, मुरादाबाद में पीतल उद्योग, बनारस और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुनकर उद्योग, मिर्जापुर में कालीन उद्योग, भागलपुर में रेशमी

कपड़ा उद्योग, चेन्नई में कपड़ा और चमड़ा उद्योग, इन उद्योगों और क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर भेदभाव किया जा रहा है। वायु प्रदूषण जैसे कठोर कानूनों को लेकर उनको इतना पीड़ित किया जा रहा है कि उनके लिए अपने उद्योगों को जीवित रखना मुश्किल हो रहा है। सच तो यह है कि इंस्पेक्टर राज जिसे बड़ी मुश्किल से समाप्त किया गया था, फिर से वापस आ गया है और उद्योगपति, अधिकारियों के शोषण और प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। जीएसटी के अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव अपनी जगह हैं। जिसका प्रभाव केवल मुसलमानों पर ही नहीं हैं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर पड़ रहा है।

इसी के साथ हम मुसलमानों से भी यह अपील करते हैं कि वह अपने युवाओं को अधिक से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर नौकरी के बजाय अपने पैरों पर खड़ा कराने का प्रयास करें ताकि वह न केवल अपने काम आएं बल्कि देश के सामने मौजूद बेरोजगारी के चैलेंज को कम करते हुए दूसरे लोगों को नौकरी देने का माध्यम बनें।

हमारे सामने शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने का भी सवाल है। हमारे पूरे धार्मिक और सांसारिक विकास की निर्भरता शिक्षा पर है, मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें चाहे अपने अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़े। हमारे मदरसों में जो हमारे शैक्षिक ढांचे की नींव हैं।

महिला शिक्षा के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं। लड़कियों के लिए विशेष संस्थान न होने के कारण या तो हमारी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं या उन्हें सह-शिक्षा वाले संस्थानों में जाना पड़ता है जिसके कारण उनके नैतिक और धार्मिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके समाधान के लिए तत्काल व्यावहारिक उपाय करने की आवश्यकता है।

(5) आरक्षण संबंधी प्रस्ताव (मसौदा)

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

आरक्षण का उद्देश्य समाज के कुछ लक्षित वर्गों को, जो विभिन्न कारणों से आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में पिछड़ गए हैं, विशेष छूट देकर समाज के अन्य वर्गों के साथ समानता का दर्जा प्रदान करना है। आरक्षण न तो धर्म के आधार पर दिया जाना चाहिए और न ही धर्म के आधार पर रोकना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत जब हम व्यावहारिक रूप से समीक्षा करते हैं तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के एक बड़े वर्ग के साथ निरंतर अन्याय किया जा रहा है। अनुच्छेद 341 **के तहत मुसलमानों और ईसाइयों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। यहां तक कि अगर कोई अनुसूचित जाति का हिंदू व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुसलमान बन जाए, तो उसे आरक्षण के तहत प्राप्त छूट से वंचित कर दिया जाता है। यह धार्मिक भेदभाव का सबसे खराब उदाहरण है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह महाधिवेशन सरकार से मांग करता है कि अनुच्छेद** 341 **में संशोधन कर धर्म के बंधन को समाप्त किया जाए।**

यह अपनी जगह सत्य है कि इस्लाम में जाति और नस्ल के आधार पर असमानता की अवधारणा नहीं है, लेकिन मुसलमानों में प्रचलित जाति और सम्प्रदाय की व्यवस्था अन्य सम्प्रदायों से भिन्न नहीं है और मुसलमान भी उसी सामाजिक असमानता और प्रताड़ना का शिकार हैं। सभी सुधार आंदोलन सामाजिक रीति-रिवाजों के सामने लाचार हैं। इसलिए मुसलमानों में जो पसमांदा (पिछड़े) वर्ग हैं, उनके साथ अन्य पिछड़े वर्गों की तरह समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें वही छूट मिलनी चाहिए जो सबको मिलती हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि पसमांदा मुसलमानों को उनका संपूर्ण अधिकार दिया जाए।

(6) मुस्लिम वक़्फ़ संपित्तयों के संरक्षण के उपायों पर विचार (मसौदा प्रस्ताव)

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह महा अधिवेशन वक़्फ़ संपत्तियों के संरक्षण और उससे होने वाली आय के खर्च और उनको वक़्फ करने वालों की इच्छानुसार उपयोग करने के संबंध में अपनी चिंताओं को दोहराता है और उसके संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हैः

(1) **परिसीमा अधिनियम** 1963 (**लिमिटेशन एक्ट**, 1963) **से वक़्फ़ संपत्तियों को छूट कम से कम** 1857 **से से प्रदान की जाए, ताकि उन सभी वक़्फ़ संपत्तियों की पुनः प्राप्ति संभव हो सके जिन पर विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं ने कब्जा कर रखा है।**

(2) **सभी राज्यों में वक़्फ़ संपत्तियों को किराया कानूनों से छूट दी जाए।**

(3) **जिन स्थानों पर वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हो सका है और जहां अधिकारियों एवं वक़्फ़ बोर्ड के पदाधिकारियों के पद रिक्त हैं, वहां तत्काल वक़्फ़ बोर्ड का गठन किया जाए। सभी वक़्फ़ बोर्ड के कार्यालयों में पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त किया जाए, और आईएएस-आईपीएस की तर्ज पर इंडियन अवक़ाफ़ सर्विसेज का एक विशेष कैडर बनाया जाए।**

(4) **वक़्फ़ की प्रासांगिकता और पिछड़े मुस्लिम अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के संबंध में गठित वक़्फ़ डेवलपमेंट कारपोरेशन को सक्रिय करके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर संभव उपाय किए जाएं और यथाशीघ्र की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत की जाए।**

(5) **अवक़ाफ़ विभाग और पुरातत्व विभाग के प्रबंधन में जो उजाड़ और सुनसान मस्जिदें हैं, अविलंब उनको बहाल किया जाए और उनमें नमाज़ की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही जहां नमाज़ें हो रही हैं, उनमें नमाज़ पढ़ने से रोका न जाए।**

(6) **एसजीपीसी की तर्ज पर वक़्फ़ बोर्ड को एक स्वायत्त निकाय बनाया जाए।**

(7) **राज्य स्तर पर हर सरकार वक़्फ़ बोर्ड की सभी इकाइयों को सक्रिय करे और नए दिशा-निर्देशों के अनुसार नए सिरे से सर्वेक्षण कराया जाए, जिसमें मजार, मस्जिदें, इमामबाड़े और अन्य वक़्फ़ संपत्तियां शामिल हों। सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए जाएं:**

(1) **कितनी वक़्फ़ संपत्तियां मुस्लिम प्रबंधन के अधीन हैं**? (2) **कितनी वक़्फ़ संपत्तियां व्यक्तिगत कब्जे में हैं**? (3) **कितनी वक़्फ़ संपत्तियां गैर-मुस्लिमों के कब्जे में हैं**? (4) **कितनी वक़्फ़ संपत्तियां केंद्र और राज्य सरकारों के कब्जे में हैं**? (5) **उनका अनुमानित कुल मूल्य क्या है और आय कितनी है**?

(8) **जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह महाधिवेशन सभी मुसलमानों; विशेष रूप से अवक़ाफ़ के न्यासियों और प्रबंधन समितियों से अपील करता है कि वह वक़्फ़ संपत्तियां के संरक्षण में**

अपने धार्मिक और शरई दायित्वों का निर्वहन करें और इसे वित्तीय तौर पर नष्ट-भ्रष्ट करने और बर्बादी के कारणों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें।

(9) **वक़्फ़ बोर्ड के अंतर्गत विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए वज़ीफे की व्यवस्था की जाए तथा अनाथ एवं निराश्रित लड़कियों एवं महिलाओं के लिए 'आसरा घर' का निर्माण किया जाए।**

(7) मीडिया का इस्लाम विरोधी रवैया और पैगंबर (सअ.) के अपमान पर अंकुश लगाने के उपायों पर विचार-मंथन (मसौदा प्रस्ताव)

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

देशव्यापी स्तर पर इस्लामी शिक्षाओं और मुसलमानों की छवि को धूमिक करने के संगठित प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें लोगों के दिमाग पर थोपने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया ऐसे समूहों और संगठनों का साधन बना हुआ है जो इस्लाम और पैगंबर (सअ.) के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। कुछ खबरिया चैनल जानबूझकर मुसलमानों के धार्मिक मामलों को एजेंडा बनाकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और पक्षकार बन कर इस्लाम और मुसलमानों को नीचा दिखाने का कौशल दिखाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो झूठ फैलाने वालों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, जो जानबूझकर कुरान और हदीस की गलत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और इस्लाम की एक ऐसी छवि पेश करते हैं जिसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं होता है, ताकि लोगों में इस्लाम विरोधी प्रोपेगंडा सफल हो सके।

(1) **जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह महाधिवेशन ऐसे सभी प्रयासों की कठोर शब्दों में निंदा करता है। वह मीडिया चैनलों यह आशा करता है कि वह ऐसे मुद्दों में अपनी रुचि दिखाएंगे जो देश के विकास से संबंधित हो। किसी भी धर्म-विरोधी मिथ्या फैलाने वाले कार्यक्रम से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है जो देश के विकास के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इस संबंध में** 14 **जनवरी** 2023 **को संबंधित विषय पर जस्टिस जोसेफ की सलाह को ध्यान में रखें कि "मीडिया के लोगों को यह समझना होगा कि वह मजबूत पदों पर आसीन हैं। जो भी चैनल में जाकर बैठता है, उसकी गलत बयानबाजी पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर रही है। क्योंकि जो लोग उन्हें देखते हैं, वह तुरंत यह पता लगाने की स्थिति में नहीं होते हैं कि सच्चाई क्या है, इसलिए जो कुछ भी कहा जाता है, उसे वह सत्य मानने लगते हैं, उसे अपने मन में बिठा लेते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं, जो बहुत खतरनाक है।''**

(2) **यह अधिवेशन मुसलमानों से अपील करता है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे उन अपमानसूचक कार्यक्रमों से प्रभावित न हों और न ही उदास हों। धार्मिक मार्गदर्शन के लिए विश्वसनीय उलेमा से परामर्श करें।**

(3) **यह सच है कि झूठ अपनी मौत मर जाता है, इसके बावजूद मीडिया या सोशल मीडिया के किसी चैनल, मंच पर अगर ईशनिंदा या धर्म एवं पैगंबर के अपमान संबंधी सामग्री प्रसारित होती है या मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, तो कुछ चुनिंदा लोग ऐसे चैनलों और मंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और एफआईआर दर्ज कराएं।**

(4) **ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए जो इन झूठी सामग्रियों और धर्म के अपमान का जवाब देते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए जो मनोवैज्ञानिक रूप से इस अराजकता को समझते हुए ठोस और दृढ़ जवाब देने में सक्षम हों।**

(5) **देश की सरकारों, जांच एजेंसियों और साइबर अपराध शाखाओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि वह किसी की औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना घृणा फैलाने वालों के खिलाफ स्वतः आपराधिक मामले दर्ज करें और आतंकवाद की रोकथाम की तरह कोई प्रभावी वॉच डॉग की व्यवस्था करें ताकि ऐसी सामग्रियों को तत्काल हटाया जाए।**

(6) **ऐसे दलों, समूहों और पेजों की पहचान की जाए जिनके द्वारा लगातार धार्मिक रूप से ऐसी भड़काऊ सामग्री प्रकाशित की जाती हैं और उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।**

(8) चुनावों में मतदाता पंजीकरण और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपायों पर विचार (मसौदा प्ररस्ताव)

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

किसी भी लोकतांत्रिक समाज में वोट की ताकत को पहचानना जरूरी है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि केवल एक मत के इधर से उधर हो जाने के आधार पर एक सरकार बनी और दूसरी सरकार गिर गई। हमें एक वोट की कीमत को समझना और पहचानना आवश्यक है कि केवल एक वोट पूरी चुनावी प्रक्रिया के संतुलन को बनाने या बिगाड़ने में सक्षम होता है।

लेकिन हमारे समाज में अपने वोट के प्रति उदासीनता आम बात है। नए मतदाताओं का पंजीकरण, मतदान के लिए मतदान केंद्र पर उपस्थिति, पुनरीक्षण के समय मतदाता सूची में अपने नाम की सुरक्षा के मामलों में मुस्लिम मतदाता अकारण ही वंचित रह जाते हैं। 18 **वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद पहली बार मतदाता बन कर सरकार के गठन में भागीदार होने के इस महत्वपूर्ण अवसर को महत्व नहीं दिया जाता है। सूची में नाम शामिल होने के बाद भी पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। सूची से नाम निकलवाले पर तत्पर धूर्त राजनीतिक कार्यकर्ताओं के षडयंत्रों को नाकाम करने के लिए प्रयासरत नहीं रहते।**

इस अवसर पर जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के कार्यकर्ता और प्रशिक्षित जागरूक व्यक्ति अगर सावधानीपूर्वक काम करें तो परिस्थितियां को बदलने में सहायक हो सकते हैं। चुनाव आयोग प्रत्येक छोटे-बड़े प्रादेशिक या राष्ट्रीय चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य करता है। पुनरीक्षण के दौरान मुस्लिम मतदाताओं में जागरूकता लाने की आवश्यकता के तहत उपाय किए जाने चाहिएं। रुचि रखने वाले कार्यकर्ता इस अवसर पर सूची में हेराफेरी करा लेते हैं। कुछ मामलों में यही हेराफेरी मुस्लिम मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का कारण बन जाती है।

इस स्थिति को संभालने के लिए स्थानीय जागरूक और जिम्मेदार लोगों एवं जमीयत उलेमा के कार्यकर्ताओं को सतर्क होना पड़ेगा। इसके लिए प्रान्तीय कार्यालयों में निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रगति रिपोर्ट की निगरानी की व्यवस्था भी की जाए। लगे हाथों निम्नलिखित मामलों के पालन की सलाह दी जाती हैः

(1) 18 **वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का तत्काल प्रयास किया जाए**

(2) **जिनके नाम किसी कारण निकल गए हों, उनका पुनः पंजीकरण कराया जाए**

(3) **आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से लिंक करने के सरकारी प्रस्ताव का पालन किया जाए**

(4) **जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई हो या वह किसी कारण से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए हों, उनके नाम को निकलवा कर दूसरी जगह नाम को दर्ज कराया जाए। विशेषकर वह महिलाएं जो शादी के बाद अपने ससुराल में स्थानांतरित हो गई हैं, उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।**

(5) **इसी से संबंधित एक अन्य कार्य मतदान के दौरान मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर उन्हें बूथ तक लाने का है। किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करने के बजाय अधिक से अधिक मतदान द्वारा चुनाव प्रक्रिया को सार्थक, लाभकारी और प्रतिनिधि बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया जाए।**

(9) सद्भावना मंच को मजबूत करने पर विचार (मसौदा प्रस्ताव)

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मूल संविधान की धारा (8) **"समाज सेवा" की भावना के अनुरूप**, 12 **सितंबर** 2019 **को आयोजित प्रबंधन समिति के सम्मेलन में "जमीयत सद्भावना मंच" की स्थापना का निर्णय लिया गया था जिसमें कम से कम ग्यारह सदस्य होंगे, उनमें से आधे गैर-मुस्लिम लोग होंगे। इस मंच में जमीयत के सक्रिय सदस्यों और धर्म एवं सम्प्रदाय के बिना किसी भेदभाव के स्थानीय जिम्मेदारों को शामिल किया जाएगा। मंच हर महीने बैठक करेगा, जिसमें देश के भाइयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और संविधान के अनुच्छेद (**8) **में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार संयुक्त व्यावहारिक उपाए किए जाएं।**

(1) **विभिन्न धर्मों के लोगों की संयुक्त सभा करना।**

(2) **नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना।**

(3) **मजदूरों, किसानों और पिछड़े लोगों की सेवा करना।**

(4) **अनाथों, विधवाओं और जरूरतमंदों की मदद करना।**

(5) **नशा और यौन अनैतिकता को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करना।**

(6) **संवेदनशील धार्मिक मुद्दों (जैसे गोहत्या, पूजा अथवा इबादत स्थलों में लाउडस्पीकर का उपयोग, धार्मिक त्योहारों, इबादत के लिए सार्वजनिक स्थानों का उपयोग) का आपसी चर्चा और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान खोजना।**

(7) **पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण, पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग और क्षेत्र को गंदगी से मुक्त रखने जैसे संयुक्त प्रयास।**

इन महत्वपूर्ण मुद्दों के क्रियान्वयन के लिए जमीयत उलेमा के पदाधिकारियों से जिस लगन और तत्परता की अपेक्षा थी, वह अब तक नज़र नहीं आयी है जबकि यह कार्य हर तरह से महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसलिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद का अधिवेशन जोर देकर जमीयत के हर स्तर के पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षण करता है किः

(1) **वह अपने-अपने क्षेत्रों में "जमीयत सद्भावना मंच" की समितियों का गठन करें।**

(2) **धर्म संसद के माध्यम से नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और समूहों के प्रभाव को खत्म करने के लिए देश भर में कम से कम** 1000 **कार्यक्रमों का आयोजन करें।**

(3) **अन्य उपर्युक्त मामलों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न सिविल सोसायटियों से संपर्क करें और उनके सहयोग से विशेष रूप से स्वच्छता, नशा मुक्ति और पर्यावरण सुरक्षा पर संयुक्त कार्यक्रमों में भागीदार बनें।**

(4) **सद्भावना मंच के तहत अपने उद्देश्य और इसकी प्राप्ति के प्रयासों के लिए छोटे स्तर पर ही सही, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पैम्फलेट, साहित्य वितरित किए जाएं।**

(10) इस्लामी शिक्षाओं के संबंध में गलतफहमियों को दूर करना और धर्म त्याग की गतिविधियों पर रोक लगाने पर विचार

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के इस महाधिवेशन को ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि देश के लोगों में इस्लामी शिक्षाओं के संबंध में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें। विशेष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से इस्लामी दिशा-निर्देशों, आस्था और कानूनों के विरुद्ध मिथ्या प्रचार और इस्लामी आंदोलनों के चरित्र हनन का उचित जवाब देना आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित उपायों की तत्काल आवश्यकता हैः

(1) **सोशल मीडिया के माध्यम से इस्लाम की अच्छाईयों और मुसलमानों की सही भूमिका को उजागर करना और जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, मीडिया के विभिन्न माध्यमों से उनके जवाब प्रसारित करना।**

(2) **आधुनिक शिक्षा युक्त मन में पल रहे नास्तिक विचारों के सुधार के लिए उनके स्वभाव के अनुकूल सामग्री एकत्र करना और समय-समय पर प्रशिक्षण सभाएं आयोजित करना।**

(3) **सभी मस्जिदों और चयनित स्थानों पर व्यवस्थित धार्मिक स्कूलों की स्थापना करना।**

(4) **सीरत के विषय पर इस्लामी क्विज आयोजित करना और उसमें सभी धर्मों के छात्र-छात्राओं को शामिल करना।**

(5) **विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मुसलमानों की छवि एक मददगार और भरोसेमंद बनाकर प्रस्तुत करना ताकि फिल्मों, टीवी सीरियलों और किताबों से जो छवि बनाई गई है, उसको सुधारा जा सके।**

(6) **आज का यह अधिवेशन विशेष रूप से जमीयत उलेमा के पदाधिकारियों और सामान्यतः इस्लामी मदरसों, इस्लामी संगठनों और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से अपील करता है कि वह अपनी उत्तरदायित्वों को निभाएं और गलतफहमियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें।**

(11) फलस्तीन और इस्लामी जगत के समक्ष चुनौतियों पर प्रस्ताव

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह महाधिवेशन अल-अक़्सा मस्जिद और यरुशलम पर अपने निर्णायक प्रभुत्व के उद्देश्य से इज़राइल सरकार की दमनकारी कार्रवाइयों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करता है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के हालिया प्रस्ताव को आशा भरी निगाह से देखता है जिसमें फिलिस्तीन की धरती पर इज़राइल के गैर क़ानूनी 'दीर्घकालिक कब्ज़े' और फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार के उल्लंघन के कानूनी परिणाम पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सुझाव मांगा गया है। इस प्रस्ताव में इज़राइल के येरुशलम के जनसांख्यिकी ढांचे, भूमिका और स्थिति को बदलने के षडयंत्र और भेदभावपूर्ण क़ानूनों को अपनाने की बात भी की गई है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद या अधिवेशन अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इस सकारात्मक पहल को देखते हुए यह मांग करता है किः

(1) **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार इज़राइल को गाज़ा की** 15 **वर्ष पुरानी नाकाबंदी को समाप्त करने और क्रॉसिंग प्वाइंट खोलने के लिए मजबूर किया जाए।**

(2) **अल-अक़्सा मस्जिद पर केवल मुसलमानों का अधिकार है, इसलिए इसे यहूदी वर्चस्व और कब्जे से मुक्त किया जाए।**

(3) **एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना सुनिश्चित की जाए।**

(4) **भारत ने हमेशा और हर मंच पर फ़िलिस्तीनियों के संघर्ष और एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का समर्थन किया है। वर्तमान सरकार ने भी यही दृष्टिकोण बनाए रखने का प्रयास किया है, जो सराहनीय है, लेकिन इज़राइल के साथ उसके संबंध देश की अहिंसा की महान परंपरा के विरुद्ध हैं। इसलिए इसे समाप्त कर देना ही उचित होगा।**

(5) **जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह अधिवेशन फ़िलिस्तीन के अलावा इस्लामी जगत के अन्य देशों; विशेषकर सीरिया, यमन और लीबिया की स्थिति पर भी अपने दुख और चिंता को व्यक्त करता है और वहां के शासकों और लोगों से आपसी मतभेदों और झगड़े को त्याग कर बुद्धिमानी और राजनीतिक सूझबूझ से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करता है।**

(6) **मुसलमानों से विनम्र निवेदन करता है कि अल-अक़्सा मस्जिद के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हज और उमरा के अवसर पर या नियमित रूप से यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।**

(7) **यह महाधिवेशन अरब जगत के कुछ हिस्सों में इब्राहीमी धर्म के नाम पर फैलाई जा रही अराजकता की कठोर शब्दों में निंदा करता है। सभी अतीत और वर्तमान आसमानी धर्मों का एक ही नाम है और वह इस्लाम है। जो लोग आपसी सहिष्णुता के नाम पर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में उन्हें सहिष्णुता के मूल उद्देश्यों और अर्थ का ज्ञान नहीं है**

(12) पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रस्ताव

इस्लामी दृष्टिकोण से साफ-सफाई आधा ईमान है। साथ ही पर्यावरण असंतुलन, जलवायु परिवर्तन और असंतुलित विकास के कारण वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के जीने के अधिकार के लिए गंभीर संकट हैं। इसके मद्देनजर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह महाधिवेशन देश के जागरूक नागरिकों का ध्यान आकर्षण करता है कि वहः

(1) **स्वयं की सफाई, अपने घर और अपने घर के बाहर वाले हिस्से की सफाई को सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाएं।**

(2) **मस्जिदों के इमामों, वक्ताओं और प्रभावशाली लोगों का यह नैतिक दयित्व है कि वह इस संदेश को सार्वजनिक करें कि ''गंदगी केवल गंदगी नहीं बल्कि हजारों संक्रामक रोगों की जड़ है''।**

(3) **वायु प्रदूषण से बचने के लिए बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करें। घरों, छतों, बॉलकनियों, कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में वृक्षारोपण की व्यवस्था करें।**

(4) **जल प्रकृति का अनमोल उपहार है, जिससे मनुष्यों समेत सभी प्राणियों का जीवन जुड़ा है। इसलिए पानी की अनावश्यक बर्बादी से बचा जाए। समुद्र, नदियों, तालाबों, कुओं और सभी प्रकार के जलाशयों को गंदगी, प्रदूषकों और रसायनों से बचाया जाए।**

(5) **वर्षा जल संचयन के लिए रिज़र्व्वेर की व्यवस्था करें।**

(6) **अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें।**

(7) **खेती और बागबानी में रसायनों का प्रयोग न करें और यदि मजबूरीवश करना पड़े तो कम से कम रसायनों का प्रयोग करें।**

(13) पसमांदा (पिछड़े) मुसलमानों से संबंधित प्रस्ताव

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह महाधिवेशन इस तथ्य को व्यक्त करता है कि जाति विभाजन, इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों के पूरी तरह विरुद्ध है। इस्लाम धर्म मानव जाति की सार्वभौमिक समानता की सीख देता है। इस्लाम व्यवसाय या जातीयता के आधार पर समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। भले ही एक मुसलमान किसी पेशे से जुड़ा हो या उसने किसी भी कुल-पंत में जन्म लिया है, अल्लाह की नजर में बराबर है। उसकी श्रेष्ठता उस व्यक्ति की धर्म के प्रति समर्पण पर निर्भर करती है। यह सिद्धांत इस्लामी शिक्षाओं में अंतर्निहित हैं और इसे इस्लामी समाज का एक मौलिक पहलू माना जाता है।

लेकिन यह भी सत्य है कि इस्लाम के विस्तार के युग में दूसरी सभ्यताओं के संपर्क के कारण सामाजिक समानता की अवधारणा धीरे-धीरे प्रभावित होती गई। विशेषकर हमारे प्रिय देश में गैर-मुस्लिम भाइयों में प्रचलित जाति व्यवस्था से मुस्लिम समाज भी खुद को मुक्त नहीं कर सका और प्रगाढ़ धार्मिक विद्वानों के प्रयासों के बावजूद इस्लाम के सार्वभौम भाईचारे की विचारधारा को सामाजिक पक्षपात और भेदभाव से भारी क्षति पहुंची। विशेष रूप से, भारतीय समाज में विद्यमान सामंती व्यवस्था और व्यावसायिक संघर्ष ने इसके लिए मार्ग को और अधिक प्रशस्त किया।

जहां तक धार्मिक दायरे का सवाल है तो हमारे प्रगाढ़ उलेमा ने हमेशा इस्लाम के वैश्विक संदेश का प्रचार किया है और जाति व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से भी खारिज कर दिया, यही कारण है कि धार्मिक मुआमलात में यह भेदभाव न के बराबर है। लेकिन सामाजिक जीवन में हमारे देश में यह भेदभाव हर धर्म के में थोड़ा-बहुत पाया जाता है।

इसलिए अगर मुसलमानों में दलित और पिछड़े समुदाय हैं तो इस जमीनी सच्चाई को स्वीकार करते हुए आज के महाधिवेशन के अवसर पर हम यह घोषणा करना चाहते हैं कि मुसलमानों का हर वर्ग, यहां तक कि गैर-मुस्लिम दलित और पिछड़ा समुदाय के भी विरोधी नहीं हैं। अतः चली आ रही जाति और ऊंच-नीच की व्यवस्था के प्रति अपनी अरुचि व्यक्त करने के साथ हम इसकी घोर निंदा करते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमने इस संबंध में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं किया। इसके साथ ही आज के अधिवेशन में संकल्प लेते हैं कि जाति पर आधारित असमानता को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ी होगी।

इस अवसर पर हम सरकार द्वारा गत दिनों मुस्लिम पसमांदा वर्गों के कल्याण के लिए जो उपाय किए जाने की मंशा व्यक्त की गई है, उनका स्वागत करते हुए विशेष रूप से मांग करते हैं किः

(1) **अनुच्छेद** 341 **में संशोधन करके मुसलमानों के संबंधित वर्गों को शामिल किया जाए।**

(2) **उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष छूट प्रदान की जाए।**

(3) **देश से जाति के अभिशाप को खत्म करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाए।**

(4) **उलेमा और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से अनुरोध है कि इस धारणा को सार्वजनिक करें कि इस्लाम में जाति की कोई अवधारणा नहीं है और जिस जगह यह पक्षपात किया जा रहा है, उन्हें वास्तव में इस्लाम के शाश्वत सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है।**

(14) कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर प्रस्ताव

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

यह महाधिवेशन कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहना चाहता है कि यह देशहित की दृष्टि से बिलकुल भी संतोषजनक नहीं है। अनुच्छेद 370 **को हटाने के बाद सरकार को कश्मीरियों के मौलिक अधिकारों, शिक्षा, विकास और कश्मीरी पहचान और संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक पदों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिनकी हालिया कार्रवाइयों और सांप्रदायिक पहल से न केवल कश्मीरी जनता बल्कि हम सभी बहुत आहत हैं। अनुच्छेद** 370 **को हटाने के लिए अपनाया गया अनुचित तरीका भी अपने आप में कोई बुद्धिमानी नहीं थी और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उस समय भी इस ओर ध्यान दिलाया था। इस महाधिवेशन के अवसर पर हम एक बार फिर सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं कश्मीरियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाया जाए और संविधान के अनुसार उन्हें उचित अधिकार दिए जाएं।**

(15) तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप पर प्रस्ताव (मसौदा)

अवसरः महा अधिवेशन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिनांकः 10-12 **फरवरी** 2023 **स्थानः रामलीला मैदान, नई दिल्ली**

जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह महाधिवेशन तुर्की और सीरिया में आए भयावह भूकंप और इसमें हजारों लोगों की मौत और लाखों लोगों के घायल एवं प्रभावित होने पर गहरा दुख व्यक्त करता है। इस अवसर पर हम सभी मृतकों के परिजनों के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह इस त्रासदी में मरने वाले सभी लोगों को माफ फरमाए। साथ ही उनके परिजनों को सहन शक्ति प्रदान करे और प्रभावितों के पुनर्वास का साधन उपलब्ध कराए (आमीन)।

इस मौके पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में आए भूकंप प्रभावितों की मदद और पुनर्वास के लिए योगदान स्वरूप एक करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा करती है।